A 6/1

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 50/अपील/2021 (GCMS No. 2021/82)	22.06.2021	05.03.2024

दुर्गालाल आ. कालू जाति कुम्हार,
निवासी ग्राम गुढानाथावतान, तहसील व जिला बून्दी (राज0)
– अपीलांट

बनाम

1.बाबू माता कमलाबाई पि.रामलाल जाति कुम्हार नि. दरा का नयागांव
2.गणेश माता कमलाबाई पि.रामलाल जाति कुम्हार नि.दरा का नयागांव
3.रामकुवार माता कमलाबाई पि.रामलाल कुम्हार नि. दरा का नयागांव
4.संतरा माता कमलाबाई पि.रामलाल जाति कुम्हार नि.दरा का नयागांव
5.तहसीलदार बून्दी
6.पटवारी, पटवार मण्डल गुढानाथावतान (तहसील व जिला बून्दी)
– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री शंभूदयाल शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री नगेन्द्र सिंह हाडा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 5 व 6 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 916 दिनांक 09.09.1998 ग्राम गुढानाथावतान, तहसील बून्दी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार कालू आ. चन्दा कुम्हार के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 50/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/82 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंटस की ओर से दिनांक 07.12.21 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा.दी. बाबत कमिश्नर नियुक्त किये जाने पेश किया गया, बाद सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण की कार्यवाही में अतिरिक्त साक्ष्यों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते अपील की पहले धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनवाई किये जाने हेतु पेश किया गया। बाद सुनवाई उभय पक्षकारान् उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णय किये जाने के उपरान्त ही गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने के आदेश दिये गये।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा संख्या 1776/2034 रकबा 1.5380 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढानाथावतान में स्थित है जो मिसल सं. 591 से दिनांक 11.08.1971 को कालू आ.चन्द्रा कुम्हार निवासी गुढानाथावतान को आवंटित हुई थी और नामान्तरकरण संख्या 591 से खातेदारी प्रदान की गई थी जिस पर कालूजी ताजिन्दगी काबिज रहे है। कालूजी का मूल पैतृक गांव सलावलियां तहसील हिण्डोली था जहां कालूजी की पैतृक पुश्तेनी भूमि व मकान भी है। कालूजी अपने ससुराल ग्राम गुढानाथावतान में आकर रहने लग गये थे, जहां उनको उक्त अपीलाधीन भूमि आवंटित हुई थी। उक्त भूमि कालूजी की स्वअर्जित भूमि होने से कालूजी ने अपने जीवनकाल में सन 1996 को बसंत पंचमी के दिन श्योजी गुर्जर, नानालाल जाट एवं चौथमल माली के समक्ष उक्त अपीलाधीन भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष में कर दी थी। उक्त अपीलाधीन भूमि पर कालूजी एवं उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट उक्त भूमि पर निरंतर खेती करता चला आ रहा है। उक्त वसीयत की जानकारी होने पर भी प्रभूडी एवं कमला बाई द्वारा उसे कभी चेलेंज नहीं किया और न ही अपीलाधीन भूमि पर कभी अपना हक अधिकार जताया। इतना ही नहीं, कालूजी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु अपीलांट, बहन कमलाबाई या माता प्रभूडी द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, भूमि पर मौके पर कब्जे की जांच किये बिना एवं अपीलांट के पक्ष में वसीयत के बाबत जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलांट के साथ ही कमला पुत्री कालू व प्रभूडी बेवा कालू के नाम पर खोल दिया गया

न्यायालय जिला कलक्टर * सत्यमेव जयते * बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

A 6/3

जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक होने के बाद प्रभूडी बेवा कालू की मृत्यु वर्ष 2002 को एवं कमला पुत्री कालू की मृत्यु दिनांक 07.4.2021 हो गई है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 9.9.98 को उक्त विवादित नामान्तरकरण भरा गया और कानूनगो द्वारा भी दिनांक 9.9.98 को ही जांच की खानापूर्ति कर दिनांक 9.9.98 को ही तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण निर्णीत कर दिया, जबकि प्रभावित पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिये था व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था, लेकिन प्रकिया की पालना किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिये जाने से नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 28.04.2021 को अपीलांट के गांव गुढानाथवतान आकर धमकी देने पर जमीन पर कमला बाई का नाम दर्ज हो जाने की जानकारी मिली। तब पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की नकल दिनांक 29.4.2021 को प्राप्त की गई, लेकिन अदालत में कोविड–19 की वजह से लोकडाउन होने के कारण तत्समय अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलांट अनपढ व्यक्ति है जो केवल हस्ताक्षर करना जानता है। इस कारण अपीलांट को राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं थी, नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अपील अवधि मध्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1996 पेज 425, आरआरडी 1998 पेज 319, एआईआर 1973 पेज 749, आरआरटी 2023(2) पेज 1241, आरआरटी 2018(1) पेज 601, आरआरटी 2023(2) पेज 1115, आरआरटी 2023(2) पेज़ 1046, आरआरडी 1998 पेज 368, 370 की नजीरें पेश करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट अपीलाधीन कृषि भूमि का सहखातेदार है, जिसे अपनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की 23 सालों तक जानकारी नहीं रही हो, यह कतई विश्सनीय नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने खाते के राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के दर्ज हिस्से के अनुसार समय समय फसल खराबा का मुआवजा प्राप्त किया है तथा पीएम सम्मान निधि प्राप्त की जा रही है, जिससे उसको उक्त आराजी के खाते में दर्ज नामों की पूरी जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु करीब 23 साल के गंभीर विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण नही बताया गया। इतना ही नहीं, अपीलांट को दिनांक 29.4.2021 को ही नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हो चुकी थी, तब भी दिनांक 04.6.2021 को मियाद बाहर होने पर

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील पेश की गई है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत का नामान्तरकरण है जो खातेदार कालू के देहान्त के बाद उसके सभी विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। रेस्पो.सं.1 लगायत 4 की माता कमला के खातेदार कालू की पुत्री होने से अपीलांट को भी इन्कारी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्री अपने पिता की कृषि भूमि पर निहित हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। अपील में अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में वसीयत होना बताया है, किन्तु अपीलांट की ओर से कोई रजिस्टर्ड वसीयतनामा पेश नहीं किया गया। वसीयत के नाम पर एक सादा कागज की फोटोकापी पेश की गई है जो नोटेरी पब्लिक से सत्यापित भी नहीं है। अपीलांट को उक्त कथित वसीयत को सक्षम न्यायालय से प्रमाणित करवाना चाहिए। वसीयत को साबित करवाये बिना उक्त फोटोकापी के सादा कागज से अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वैसे भी वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान् में विवाद हो तो वहां पर वसीयत के आधार पर तहसीलदार नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु सक्षम नहीं है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार कालू के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में नियमानुसार अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण तस्दीक करने में कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(1) पेज 94 की नजीर पेश करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत होना एवं अपील अपीलांट सारहीन होना बताते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि ग्राम गुढानाथावतान में विस्थित आराजी खसरा संख्या 1776/2034 रकबा 10 बीघा का खातेदार कालू आ. चन्दा कौम कुम्हार था। खातेदार कालू के देहान्त के बाद उसके विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 916 तस्दीक किया गया। जिस अपीलांट को आपत्ति है कि खातेदार कालू द्वारा उसके पक्ष में वसीयत की हुई होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल उसके पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खोलकर सभी वारिसान के पक्ष में खोल दिया गया, जो निरस्त किया जावे। जबकि रेस्पोडेंटस का तर्क है कि अपीलांट द्वारा 23 साल के विलम्ब से अपील पेश की गई है जिसे पहले मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किया जावे तथा गुणावगुण पर भी वसीयत सक्षम न्यायालय से साबित नहीं होने से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तस्दीक किया गया विरासत का नामान्तरकरण विधिसम्मत मानते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

A 6/5

संख्या 916 दिनांक 09.09.1998 को मृतक खातेदार कालू के वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 04.06.2021 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 दिनांक 28.04.2021 को अपीलांट के गांव आकर उनकी माता के नाम दर्ज भूमि पर उनका नाम दर्ज करवाने एवं उसे बेदखल करने की धमकी देने पर नामान्तरकरण की जानकारी होना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा कोविड–19 की वजह से लोकडाउन होने से अपील पेश करने में विलम्ब होना बताया है। किन्तु यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नामान्तरकरण से खातेदार की पुत्री कमला एवं पत्नी प्रभूडी के साथ ही पुत्र अपीलांट का भी नाम उक्त आराजी पर दर्ज हुआ है। अर्थात अपीलांट उक्त आराजी पर सहखातेदार कृषक है। जिसे अपने कब्जे काश्त की भूमि के राजस्व रेकार्ड की 22 साल से अधिक अवधि गुजर जाने तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि अपने पिता की मृत्यु के बाद तस्दीक अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण 22 साल से अधिक अवधि गुजर जाने तक अपीलांट की जानकारी में नहीं आया हो। जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। अपीलांट को दिनांक 28.4.2021 से पूर्व नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रहने का कोई कारण नहीं बताया। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है। अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbanc or deprivation of what may have been acquired in equity and justice b long enjoyment or what may have been lost by a party`s own inactio negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में प्रतिपादित किया गया है कि Liberal approcah cannot be adop otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal liable to be dismissed. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 5 भारतीय मि अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि इसमें अपीलांट द्वारा अपील करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार न अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण अपीलांट पेश करने में पूर्णतः असफल रहा हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी